रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2004/भाद्र 10, 1926
No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2004/BHADRA 10, 1926

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 561(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 6 के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शैक्षिक संस्थानों के पास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध नियम, 2004 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये 1 दिसम्बर, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,—

(क) "अधिनियम" से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षिक संस्था" से ऐसा स्थान/केन्द्र अभिप्रेत है जहां विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसरण में शैक्षिक अनुदेश दिए जाते हैं और जिसमें स्कूल, कालेज और उच्चतर प्रशिक्षण के स्थापित या किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है; और

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो इस अधिनियम में दिए गए हैं।

3. शैक्षिक संस्थानों के पास सिगरेट और अन्य तंबाकू के विक्रय पर निषेध.—

(1) बोर्ड का प्रदर्शन—शैक्षिक संस्थान का स्वामी या प्रबंधक या मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर से बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रमुख रूप से कथित एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा कि शैक्षिक संस्थान के एक सौ गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय का सख्त प्रतिषेध है और कि यह अपराध जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) दूरी का माप—एक सौ गज की दूरी शैक्षिक संस्थान को, यथास्थिति, सीमा दीवार की बाहरी सीमा, बाड़ से नापी जाएगी।

[फा. सं. पी-16011/2/2003-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2004

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 read with Section 6 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (No. 34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short Title, Extent and Commencement.—

(1) These rules may be called the Prohibition on sale of Cigarettes and Other Tobacco Products around Educational Institutions Rules, 2004.

(2) They shall extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the 1st day of December, 2004.

2. Definitions.—

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003;

(b) "Educational Institution" means places/centres where educational instructions are imparted according to the specific norms and include schools, colleges and institutions of higher learning established or recognized by an appropriate authority;

(c) "Section" means a section of the Act; and

(d) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Prohibition of Sale of Cigarettes and other Tobacco Products Around Educational Institutions.—

(1) Display of Board.— The owner or manager or any person in-charge of affairs of the educational institution shall display and exhibit a board at a conspicuous place(s) outside the premises, prominently stating that sale of cigarettes and other tobacco products in an area within a radius of one hundred yards of the educational institution is strictly prohibited and that it is an offence punishable with the fine which may extend to two hundred rupees.

(2) Measurement of Distance.—Distance of one hundred yards shall be measured radially starting from the outer limit of boundary wall, fence or as the case may be, of the educational institution.

[F. No. P-16011/2/2003-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.